प्रभुराम बनाम राणाराम
2024 / 385
निर्णय दिनांकः–06.09.2024

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 385 दर्ज तिथिः–30.07.2024

1. प्रभुराम पुत्र भगवानाराम
2. ओखाराम पुत्र भगवानाराम
3. पाताराम पुत्र भगवानाराम

जाति कलबी निवासी भावाणियों की ढाणी खारवा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
..................वादी

बनाम

1. राणा पुत्र काना
2. भीमा पुत्र भगवानाराम
3. भैराराम पुत्र भगवानाराम
4. रामाराम पुत्र भगवानाराम
5. मोटा पुत्र केवदा
6. नवा पुत्र केवदा
7. मदरूपा पुत्र केवदा
8. मांगा पुत्र वरजोंगा
9. जवाना पुत्र वरजोंगा
10. अनु पत्नी वरजोंगा
11. लीलाराम पुत्र गुणेशा
12. भोमाराम पुत्र गुणेशा
13. जानू पुत्र गुणेशा
14. सवलाराम पुत्र मुकनाराम
15. नरपत पुत्र खंगाराराम
16. रमेश पुत्र खंगाराराम
17. अणसी पत्नी खंगाराराम

जाति कलबी निवासी भावाणियों की ढाणी खारवा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
..............असल प्रतिवादीगण

18. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुडामालानी
19. तहसीलदार एंव उपपंजीयक गुडामालानी

..............तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रभुराम बनाम राणाराम
2024 / 385
निर्णय दिनांक:-06.09.2024

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:निर्णय प्रारम्भिक डिक्री:-

निर्णय तिथि:- 06.09.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 396/0.0162 है0, 397/0.3723 है0, 397/1/5.3985 है0, 398/0.5989 है0, 398/1/2.1853 है0, 399/1.1898 है0, 399/1/1.9020 है0, वाके ग्राम हाजाणियों की ढाणी भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बटवारा ... का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:26 IST
Reason: SelfAttested

5. मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् अंतिम चौसाला आधार सम्वतः– 2074–2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 396/0.0162 है0, 397/0.3723 है0, 397/1/5.3985 है0, 398/0.5989 है0, 398/1/2.1853 है0, 399/1.1898 है0, 399/1/1.9020 है0, वाके ग्राम हाजाणियों की ढाणी भाखरपुरा तहसील गुडामालानी में वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण व असल प्रतिवादीगण हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित हैं, पक्षकारान के हिस्से खुले हुए हैं एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। अतः पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है परंतु विधिक तकासमा किये जाने से पूर्व दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात–रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस संबंधित तहसीलदार से तलब किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण तथा प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 396/0.0162 है0, 397/0.3723 है0, 397/1/5.3985 है0, 398/0.5989 है0, 398/1/2.1853 है0, 399/1.1898 है0, 399/1/1.9020 है0, वाके ग्राम हाजाणियों की ढाणी भाखरपुरा तहसील गुडामालानी की भूमि में वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण का मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज हिस्सानुसार आराजी का विभाजन उभयपक्षकारो के मौके पर वहामी बंटवारे तथा कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व सिद्धांत के अनुसार तथा राजस्व विभाग के परिपत्र 06.11.2004 के अनुसार सभी सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता कायम किये जाने के प्रस्ताव तैयार करने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान को

Signature Not Verified

Digitally signed by K Meena
Date: 2025.02.25 19
Reason: SelfAttested

उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात–रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

यह प्रारम्भिक निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.09.2024 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रभुराम बनाम राणाराम

2024 / 385

निर्णय दिनांकः–06.09.2024

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 385 दर्ज तिथिः–30.07.2024

1. प्रभुराम पुत्र भगवानाराम
2. ओखाराम पुत्र भगवानाराम
3. पाताराम पुत्र भगवानाराम

जाति कलबी निवासी भावाणियों की ढाणी खारवा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

..................वादी

बनाम

1. राणा पुत्र काना
2. भीमा पुत्र भगवानाराम
3. भैराराम पुत्र भगवानाराम
4. रामाराम पुत्र भगवानाराम
5. मोटा पुत्र केवदा
6. नवा पुत्र केवदा
7. मदरूपा पुत्र केवदा
8. मांगा पुत्र वरजोंगा
9. जवाना पुत्र वरजोंगा
10. अनु पत्नी वरजोंगा
11. लीलाराम पुत्र गुणेशा
12. भोमाराम पुत्र गुणेशा
13. जानू पुत्र गुणेशा
14. सवलाराम पुत्र मुकनाराम
15. नरपत पुत्र खंगाराराम
16. रमेश पुत्र खंगाराराम
17. अणसी पत्नी खंगाराराम

जाति कलबी निवासी भावाणियों की ढाणी खारवा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

...............असल प्रतिवादीगण

18. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुडामालानी
19. तहसीलदार एंव उपपंजीयक गुडामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 10:46:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रभुराम बनाम राणाराम

2024 / 385

निर्णय दिनांक:–06.09.2024

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:– श्री जगदीश विश्नोई

प्रतिवादीगण:– एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण तथा प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 396/0.0162 है0, 397/0.3723 है0, 397/1/5.3985 है0, 398/0.5989 है0, 398/1/2.1853 है0, 399/1.1898 है0, 399/1/1.9020 है0, वाके ग्राम हाजाणियों की ढाणी भाखरपुरा तहसील गुडामालानी की भूमि में वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण का मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज हिस्सानुसार आराजी का विभाजन उभयपक्षकारो के मौके पर वहामी बंटवारे तथा कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व सिद्धांत के अनुसार तथा राजस्व विभाग के परिपत्र 06.11.2004 के अनुसार सभी सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता कायम किये जाने के प्रस्ताव तैयार करने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात–रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

यह प्रारम्भिक डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 06.09.2024 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रभुराम बनाम राणाराम

2024 / 385

निर्णय दिनांक:-06.09.2024

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी-बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:26 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

इस्माइल पुत्र वीरा (2) बाबू पुत्र वीरा जाति सिरनोई नि. लाला की बेरी नोरवडा .... बनाम (1) अधिशाषी अभियन्ता (2) सहायक अभियन्ता गुडामालानी (3) ठेकेदार भजनलाल (4) तहसीलदार नोरवडा

किस्म मुकदमा ....राजस्व वाद.... अधि. मुकदमा नम्बर ....6/23....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/1/23	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री हरिश चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू0–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 3/2/23 को पेश हो । सहायक कलक्टर SDO गुडामालानी	
3/2/23	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 20/3/23 को पेश हो ।	
20/3/23	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 8/5/23 को पेश हो ।	
12/05/23	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय ....0105.... पेश हुई। पीठासीन अधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः आइन्दा पत्रावली दिनांक 24/7/23 को पेश हो।	
24/7/23	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 31/7/23 को पेश हो ।	
31/7/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण प्रतिवादीगण के सम्मन रजि. डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश करने का अवसर चाहते हैं, अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 26/9/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:26 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
06/11/24	पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्ष उपस्थित पत्रावली वास्ते कायम होने तनकीहात दिनांक 27/11/24 को पेश हो।
27/11/24	पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्ष इश्यु तनकीहात कायम की गई पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 31/1/2025 को पेश हो।
31-01-25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी अनु. वादीगण स्वयं अनु.। वादीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समय मे तीन बार तीन आवाजे दिलाई गई। बावजूद आवाज दिलाने के वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उक्त प्रकरण वादीगण की अदम हाजिरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है ~~पत्रावली~~ फैसल शुदा की न्यायालय के निर्णय दिनांक 24/11/24 को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अदालत म...

जीसीएमएस संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:26 IST
Reason: SelfAttested